112/5105 PM

संख्याः 2828 / XX-1 / 13–4(46)2009

प्रेषक

सुभाष चन्द्र
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में

पुलिस महानिदेशक
पुलिस मुख्यालय,
देहरादून

गृह अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः– 08 जनवरी, 2014

विषयः–"राज्य योजना" के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में फायर स्टेशन हल्द्वानी के अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्याः डीजी–दो–51–2011, दिनांक 12 दिसम्बर, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 200 / XX-1 / 2013–4(46)2009 दिनांक 25 मार्च, 2013 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में **फायर स्टेशन हल्द्वानी के अनावासीय भवनों** के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु अनुमोदित धनराशि ₹ 274.41 लाख के सापेक्ष प्रथमतः ₹ 50 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त निर्माण कार्य की निरन्तरता बनाये रखे जाने हेतु अवशेष धनराशि ₹ 224.41 लाख के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में **₹ 100 लाख(रूपये एक करोड़ मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा। स्वीकृति सम्बन्धी मूल शासनादेश की सभी शर्ते यथावत् रहेंगी। कार्य की प्रगति में तेजी लाने तथा निर्धारित समयावधि में स्वीकृत लागत की सीमा में कार्य पूर्ण किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था को अवश्य निर्देश दिया जाय। **स्वीकृत धनराशि का प्रयोग इस प्रकार सुनिश्चित किया जाय कि कार्य स्थल पर पूर्व स्वीकृत धनराशि से आरम्भ किये गये कार्य प्रथमतः पूर्ण हो जाय। तदोपरान्त ही आगणन में स्वीकृत अन्य कार्यों पर धनराशि व्यय की जायेगी। कार्य के प्रगति का निरंतर अनुश्रवण भी किया जाय।**

3– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता / सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए तथा एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

5– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

6– निर्माण कार्य तथा इस हेतु सामग्री क्रय में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (Uttarakhand Procurement Rules), 2008 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7– निर्माण कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य में शीघ्रता लायी जाय तथा विलम्ब के कारण किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए सम्बन्धित निर्माण संस्था उत्तरदायी होगी। कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल एवं तद्विषयक समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–10 लेखाशीर्षक 4055–पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय, 211–पुलिस आवास–आयोजनागत, 03–पुलिस विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु व्यवस्था(चालू कार्य) के अन्तर्गत मानक मद 24–वृहद निर्माण कार्य, के नामे डाला जायेगा ।

9– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–413/XXVII(1)/2013 दिनांक 10 जून, 2013 के आलोक में तथा संलग्न आवंटन आई.डी. संख्याः S1401100031 द्वारा जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(सुभाष चन्द्र)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि, निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल।
4. निदेशक, कोषागार, 25 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल(हल्द्वानी) ।
6. अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम, नैनीताल(रामनगर), उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु.–05/नियोजन विभाग/
9. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(विक्रम सिंह यादव)
अनु सचिव

बजट आवटन वित्तीय वर्ष - 20132014

Secretary, Home (S019)

आवंटन पत्र संख्या - **2828/xx-1/13-4(46)2009**

अनुदान संख्या - **010**

अलोटमेंट आई डी - **S1401100031**

आवंटन पत्र दिनांक - 06-Jan-2014

HOD Name - Director General Police (2533)

1: लेखा शीर्षक 4055 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 00 -

211 - पुलिस आवास

00 - पुलिस विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु व्यवस 03 - पुलिस विभाग के आवासीय /अनावासीय भवनों के न

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	10978000	10000000	20978000
	10978000	**10000000**	**20978000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 10000000